जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/61 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | रविवार, 11 अप्रैल 2021

सील में डील!!!

जे.डी.ए. के ज़ोन-1 में स्थित आवासीय भूखंडो 3,4 दुर्गा विहार,प्रधान मार्ग,मालवीय नगर पर बनी अवैध दुकानों पर नोटिस के बावजूद लगवाए जा रहे शटर!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अन्तर्गत धारा 32 उपधारा (1) व (6) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

क्रमांकः 88

बुक नं. 35

दिनांकः 7/5/21

क्रमांकःज.वि.प्रा.अ.शा./82/............

नोटिस बनाम –
मौके पर बताये अनुसार
श्री वासुदेव गंगवानी ...... स्वामी/अभियोगी
पता प्र. न. 3 घ 4 दुर्गा विहार
प्रधान मार्ग मालवीय नगर, जयपुर

निरीक्षण एवं जाँच करने पर पाया कि आपने स्वयं अथवा आपकी स्वप्रेरणा से अन्य व्यक्ति ने, भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है, पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार अवैध विकास किया है। अर्थात आपने उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना ही/अनुज्ञा के प्रतिकूल/अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है जो अवैध है जिसका विवरण निम्नांकित है।

विवरण अनाधिकृत निर्माण

आप द्वारा JDA की बिना अनुमति व स्वीकृति के भू. न. 3 घ 4 दुर्गाविहार प्रधान मार्ग मालवीय नगर जयपुर में लोहे के चिन्नर व एंगल एवं छोटी-छोटी दीवार बनाकर निर्माण व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है, जो अवैध है एवं JDA नियमों का गम्भीर उल्लंघन किया जाता है।

आपके उक्त अपराध के लिये साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु 45 दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के ......3 दिवस...... में उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटा दें तथा तत्काल इसकी सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को देवें। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 11/5/21......... को ...10 AM...... बजे अपनी आपत्ति, उन समस्त आलेखों सहित प्रस्तुत करें जो आपके दावे को प्रमाणित करने में सहायक हों, ताकि आपकी आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

यदि आपने इस नोटिस की अनुपालना में निर्धारित अवधि में अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया या कोई आपत्ति निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत नहीं की तो प्राधिकरण उक्त अवैध निर्माण कार्य को हटवा देगा एवं इसका व्यय आपसे भूराजस्व की बकाया के समान वसूल किया जावेगा। साथ ही आपके विरुद्ध विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उक्त अपराध के कारण अभियोजन भी प्रारम्भ किया जावेगा।

नोटिस आज ......7/5/21......... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

7/5/21

(उदयभान)
प्रवर्तन अधिकारी जोन-1
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जे.डी.ए. के ज़ोन-1 में स्थित आवासीय भूखंडो 3,4 दुर्गा विहार,प्रधान मार्ग,मालवीय नगर पर बनी अवैध दुकानों का है मामला!

जे.डी.ए. के ज़ोन-1 में स्थित आवासीय भूखंडो 3,4 दुर्गा विहार,प्रधान मार्ग,मालवीय नगर पर बिना अनुमति,बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना नक़्शे पास करवाए अवैध दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा था|जिसकी शिकायत होने पर जे.डी.ए. द्वारा 07/04/2021 को अवैध निर्माणकर्ता श्री वासुदेव गंगवानी को धारा 32 का नोटिस दिया गया|इस नोटिस के तहत अवैध निर्माणकर्ता को अवैध निर्माण हटवाने अथवा अपनी आपत्ति नोटिस प्राप्ति के 3 दिवसों में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए है|परन्तु अवैध निर्माणकर्ता श्री वासुदेव गंगवानी द्वारा जवाब देने की बजाय अधुरा निर्माणकार्य द्रुत गति से चला दिया है |स्थानीय निवासियों के अनुसार उक्त दुकानों के शटर चढ़ा दिए गए है और रातोरात इसका निर्माण भी पूर्ण करवा लिया जायेगा|

जवाब मांगते सवाल?

- क्या यह निर्माणकार्य जे.डी.ए. के अधिकारीयों की सांठ-गाँठ से करवाया जा रहा है?
- क्या जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारीयों को इसकी भनक नहीं है?
- कौन है इस अवैध निर्माण को करवाने वाला?क्या है उसके रसूखात?
- आज दिनांक तक कितने अवैध निर्माण करवा चूका है यह अवैध निर्माणकर्ता?
- क्या नोटिस के बताये गए अनुसार अवैध निर्माण सिद्ध होने पर अवैध निर्माण के लिए 15 से 45 दिन के कारावास या पच्चीस हजार का जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी?

जिम्मेदार अधिकारी

- श्री मामन सिंह,पुलिस अधीक्षक,जे.डी.ए.
- श्री रघुवीर प्रसाद सैनी,मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक,जे.डी.ए.
- श्री उदयभान,प्रवर्तन अधिकारी,जोन-1,जे.डी.ए.